

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के अधीन राज्य के 45 BLC परियोजना में योजना के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH माध्यम से प्रथम किस्त की विमुक्त केन्द्रांश Other than SC & ST घटक में ₹0 11160.00 लाख, SC घटक में ₹0 2723.40 लाख एवं ST घटक में ₹0 99.60 लाख एवं केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश क्रमशः Other than SC & ST घटक में ₹0 7440.00 लाख, SC घटक में ₹0 1815.60 लाख एवं ST घटक में ₹0 66.40 लाख अर्थात् कुल ₹0 23305.00 लाख (दो सौ तैंतीस करोड़ पाँच लाख ₹0 मात्र) का वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना-2.0 का शुभारंभ दिनांक-01.09.2024 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30-45 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/39/2026-HFA-I-MoHUA/FTS-9218851 दिनांक-09.07.2026 द्वारा राज्य के 45 BLC परियोजना में योजना के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH माध्यम से प्रथम किस्त की विमुक्त केन्द्रांश Other than SC & ST घटक में ₹0 11160.00 लाख, SC घटक में ₹0 2723.40 लाख एवं ST घटक में ₹0 99.60 लाख एवं केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश क्रमशः Other than SC & ST घटक में ₹0 7440.00 लाख, SC घटक में ₹0 1815.60 लाख एवं ST घटक में ₹0 66.40 लाख अर्थात् कुल ₹0 23305.00 लाख (दो सौ तैंतीस करोड़ पाँच लाख ₹0 मात्र) का सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नगर निकायों को SNA SPARSH के माध्यम से Virtual Allotment/Limit राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- N-11011/39/2026-HFA-I-MoHUA/FTS-9218851 दिनांक-09.07.2026 के आलोक में की जाएगी।

अतएव योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-03 में अंकित नगर निकायों अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः स्तम्भ-4, 5, 6 में राशि क्रमशः SC, ST एवं Other than SC & ST घटक में अर्थात् स्तम्भ-07 में अंकित कुल राशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

S.No.	District	ULBs Name	Central & State Share (SC)	Central & State Share (ST)	Central & State Share (Other than SC & ST)	Total Sanction amount
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	Araria	Araria, Municipality	4.00	0.00	96.00	100.00
2	Arwal	Arwal Municipality	12.00	1.00	79.00	92.00
3	Aurangabad	Nabinagar, Town Panchayat	27.00	0.00	69.00	96.00
4	Banka	Amarpur, Town Panchayat	28.00	0.00	123.00	151.00
5	Begusarai	Bakhri, Municipality	58.00	1.00	429.00	488.00
6	Begusarai	Balia, Municipality	32.00	0.00	139.00	171.00
7	Bhagalpur	Naugachhia, Municipality	5.00	0.00	162.00	167.00
8	Bhojpur	Jagdishpur, Town Panchayat	62.00	3.00	239.00	304.00
9	Darbhanga	Ghanshyampur, Town Panchayat	127.00	2.00	530.00	659.00
10	Gaya	Bodh Gaya, Municipality	975.00	18.00	823.00	1816.00
11	Gaya	Imamganj, Town Panchayat	433.00	3.00	400.00	836.00
12	Gaya	Sherghati, Municipality	77.00	0.00	206.00	283.00
13	Gopalganj	Mirganj Municipality	121.00	34.00	897.00	1052.00
14	Jamui	Jamui, Municipality	29.00	1.00	61.00	91.00
15	Jehanabad	Ghoshi, Town Panchayat	86.00	0.00	220.00	306.00
16	Katihar	Barsoi, Town Panchayat	0.00	0.00	20.00	20.00
17	Kishanganj	Kishanganj, Municipality	16.00	1.00	208.00	225.00
18	Madhepura	Alamnagar, Town Panchayat	201.00	5.00	1174.00	1380.00
19	Madhepura	Bihariganj, Town Panchayat	131.00	8.00	783.00	922.00
20	Madhepura	Madhepura, Municipality	100.00	8.00	830.00	938.00
21	Madhubani	Jainagar, Town Panchayat	47.00	0.00	58.00	105.00
22	Madhubani	Madhubani, Municipal Corporation	325.00	2.00	1376.00	1703.00
23	Patna	Khusrupur, Town Panchayat	15.00	0.00	89.00	104.00
24	Patna	Mokameh, Municipality	24.00	0.00	47.00	71.00
25	Purba Champaran	Chakia, Municipality	132.00	3.00	901.00	1036.00
26	Purnia	Banmankhi Bazar, Municipality	113.00	1.00	916.00	1030.00
27	Purnia	Kasba, Town Panchayat	11.00	42.00	129.00	182.00
28	Rohtas	Koath, Town Panchayat	8.00	0.00	20.00	28.00
29	Rohtas	Kochas, Town Panchayat	4.00	0.00	57.00	61.00
30	Rohtas	Nokha, Municipality	119.00	1.00	612.00	732.00
31	Saharsa	Saharsa, Municipal Corporation	11.00	0.00	49.00	60.00
32	Saharsa	Sour Bazar, Town Panchayat	44.00	1.00	571.00	616.00
33	Samastipur	Dalsinghsarai, Municipality	96.00	0.00	298.00	394.00
34	Samastipur	Musri Gharari, Town Panchayat	165.00	0.00	713.00	878.00
35	Samastipur	Rosera, Municipality	61.00	0.00	537.00	598.00
36	Samastipur	Singhia, Town Panchayat	4.00	0.00	93.00	97.00
37	Saran	Dighwara, Town Panchayat	21.00	0.00	269.00	290.00
38	Sitamarhi	Bairganja, Municipality	131.00	0.00	620.00	751.00
39	Sitamarhi	Beisand, Town Panchayat	66.00	0.00	308.00	374.00
40	Sitamarhi	Sitamarhi, Municipal Corporation	218.00	9.00	1836.00	2063.00
41	Sitamarhi	Sursand, Town Panchayat	216.00	15.00	864.00	1095.00
42	Siwan	Maharajganj, Town Panchayat	16.00	6.00	102.00	124.00
43	Supaul	Birpur, Town Panchayat	7.00	1.00	71.00	79.00
44	Vaishali	Jandaha, Town Panchayat	62.00	0.00	293.00	355.00
45	Vaishali	Mahua, Municipality	99.00	0.00	283.00	382.00
		Total	4539.00	166.00	18600.00	23305.00

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure

(PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-08.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं०- e.gov/ PFMS-05/ 2023- 398 दिनांक-13.01.2025 के द्वारा RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुड़ा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Account Number	Name of Account	Short Name of Account
1	01585501151	BR54-House For All (Urban) (1989)	HFA Project

4. (i) स्वीकृत राशि ₹0 23305.00 लाख में से ₹0 18600.00 लाख **(एक सौ छियासी करोड़ ₹0)** माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0203- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-48-2217030510203 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹0 23305.00 लाख में से ₹0 4539.00 लाख **(पैंतालीस करोड़ उनतालीस लाख ₹0)** माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0205- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-48-2217037890205 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि ₹0 23305.00 लाख में से ₹0 166.00 लाख **(एक करोड़ छियासठ लाख ₹0)** माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0203- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-48-2217037960203, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-469 दिनांक-14.01.2026 के आलोक में Just-In-Time पर आधारित SNA SPARSH प्रक्रिया के तहत केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि की निकासी के मामले में डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०— टि० पर दिनांक— को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ०— टि० पर दिनांक— को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

सरकार के संयुक्त सचिव,

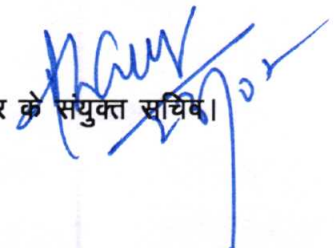
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक—03/HFA-06-08/2025

113

दिनांक—24-2-2025

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2(बजट) नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित नगर निकाय/अवर सचिव, MoHUA, GoI, HFA Division/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।